भारत का संविधान

सत्यमेव जयते

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

संविधान दिवस

26 नवंबर 2019 - 26 नवंबर 2020

"यदि संविधान, सरकार के लिए केवल अनुसरण करने का दस्तावेज बना रहता है, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इसीलिए इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है।"

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

भारत का संविधान

- भारत का संविधान वह बुनियादी कानून है जिससे हमारे देश के राजनैतिक ढांचे की रूपरेखा निर्मित हुई है। संघीय ढांचे के साथ इस संविधान पर संसदीय लोकतंत्र और गणराज्य की बुनियाद टिकी है।
- भारत का संविधान इसके संस्थापकों की दूरदर्शिता और आदर्शों को मूर्त रूप देता है। यह उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विचार प्रकृति, आस्था एवं इच्छा शक्ति को दर्शाता है।
- संविधान भारतीय गणराज्य के प्रमुख अंगों – कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी शक्तियों को परिभाषित करते हुए यह उनके दायित्वों को निर्धारित करता है।

भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं:-

- शासन की संसदीय प्रणाली
- मौलिक अधिकार और कर्तव्य
- संघीय ढांचा
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- धर्मनिरपेक्षता
- नागरिकता
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- वयस्क मताधिकार

- भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है, जिसके निर्माण में अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस आदि के संविधानों से प्रेरणा ली गई है।
- संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

"अगर संविधान को सरल भाषा में मुझे कहना है तो हमारा संविधान भारतीयों के लिए प्रतिष्ठा और भारत की एकता इन दो मूल मंत्रों को साकार करता है।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

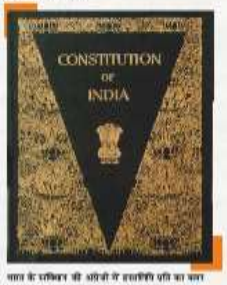

भारत के संविधान की अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रति का मूल पेज

संविधान की मूल पांडुलिपि चर्म पत्र पर 16 इंच x 22इंच में लिखी गई है जो हजार वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। इसकी संपूर्ण पांडुलिपि 251 पृष्ठों की है और इसका वजन 3.75किलोग्राम है।

संविधान सभा और संविधान का निर्माण

भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा (1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत गठित) द्वारा वर्ष 1946 से 1949 के बीच तैयार किया गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस सभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

सभा के 299 सदस्यों (15 महिलाओं सहित) ने संविधान का मसौदा तैयार करने में तीन वर्ष से काम (1946 से 1949) सम्पन्न किया।

संविधान सभा के सदस्य दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच 11 सत्रों में मिले।

29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया।

दिसंबर, 1946 में संविधान सभा का सत्र।

"सभा ने आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकरजी के नेतृत्व में एक समावेशी संविधान का मसौदा तैयार किया। यह समावेशी संविधान नए भारत के निर्माण के संकल्प से प्रेरित है। इसमें हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी हैं और इसने हमारी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं।"

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

"संविधान अधिकारों का दस्तावेज मात्र नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा है।"

डॉ. बी. आर. अंबेडकर

डॉ. बी. आर. अंबेडकर का चित्र।

केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। कन्नकुमारी अमृत कौर, डॉ. जॉन मथाई और सरदार वल्लभभाई पटेल चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया और यह 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ। इसी दिन से संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और यह दस्तावेज, 1952 में,जब तक नई संसद का गठन नहीं हो गया, भारत का अंतरिम संविधान बन गया। संविधान के मसौदे पर विचार करते हुए कुल प्रस्तावित 7635 संशोधनों में से 2473 संशोधनों का चर्चा उपरांत निराकरण किया गया।

संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए।

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य गौण समितियां थीं।

संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों के नाम

- मसौदा समिति
- केंद्रीय शक्ति समिति
- केंद्रीय संविधान समिति
- प्रांतीय संविधान समिति
- मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्रों पर
- सलाहकार समिति
- प्रक्रिया नियम समिति
- संचालन समिति

24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के पहले सत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल।

संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अंगीकार किया।

आधुनिक भारतीय कला के प्रख्यात व्यक्तित्व श्री नंद लाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के मार्जिन का रूपांकन किया और उन्हें कलात्मक चित्रों के साथ सुशोभित किया।

कैलीग्राफिक कला में निष्णात श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने स्वयं पूरे संविधान को लिखा। इस कार्य को पूरा करने में 6 महीने का समय लगा और उन्होंने इस कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया।

संविधान सभा के सदस्यों की सामूहिक उपस्थिति, 1950

संविधान सभा का गठन और प्रमुख सदस्य

[illegible]

I beg to move, Sir,

"That it be resolved that:

(1) After the last stroke of midnight, all members of the Constituent Assembly present on this occasion do take the following pledge:

'At this solemn moment when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, ..., a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people so the end that this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind.'

(2) Members who are not present on this occasion do take the pledge (with such verbal changes as the President may prescribe) at the time they next attend a session of the Assembly."

संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ली गई शपथ

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

अपने मौलिक कर्तव्य निभाएँ देश को महान बनाएँ

हमारे मौलिक कर्तव्य

- संविधान का सम्मान
- आपसी भाईचारा
- देश की सुरक्षा
- महिलाओं का सम्मान
- सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण
- राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा
- वैज्ञानिक विचारधारा
- शिक्षा के अवसर
- पर्यावरण का बचाव
- मानवीय गतिविधियों में उत्कृष्टता
- स्वतंत्रता के आदर्शों को संजोना

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

New India
नवा भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

राज्यघटना आणि राष्ट्रीय चिन्हांचा आदर

आपल्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मूलभूत कर्तव्यांचे पालन

Narendra Modi
Prime Minister

Narendra Modi
Prime Minister

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सर्व जीवांप्रती दयाभाव

आपल्या मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करु या देशाचे उज्ज्वल भवितव्य घडवू या

New India
नवा भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

अपने मौलिक कर्तव्य निभाएँ देश को महान बनाएँ

हमारे मौलिक कर्तव्य

- संविधान का सम्मान
- आपसी भाईचारा
- देश की सुरक्षा
- महिलाओं का सम्मान
- सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण
- राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा
- वैज्ञानिक विचारधारा
- शिक्षा के अवसर
- पर्यावरण का बचाव
- मानवीय गतिविधियों में उत्कृष्टता
- स्वतंत्रता के आदर्शों को संजोना

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

द्वेष से पहले देश को रखें
लोक संपत्ति की सुरक्षा करें

हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।

संवैधानिक कर्तव्यों को जानें | ज़िम्मेदार नागरिक बनें |

सत्यमेव जयते

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doj.gov.in

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

"My parents taught me, nation comes first, always."

Let's strive to defend our country at all times and abide by our Fundamental Duties.

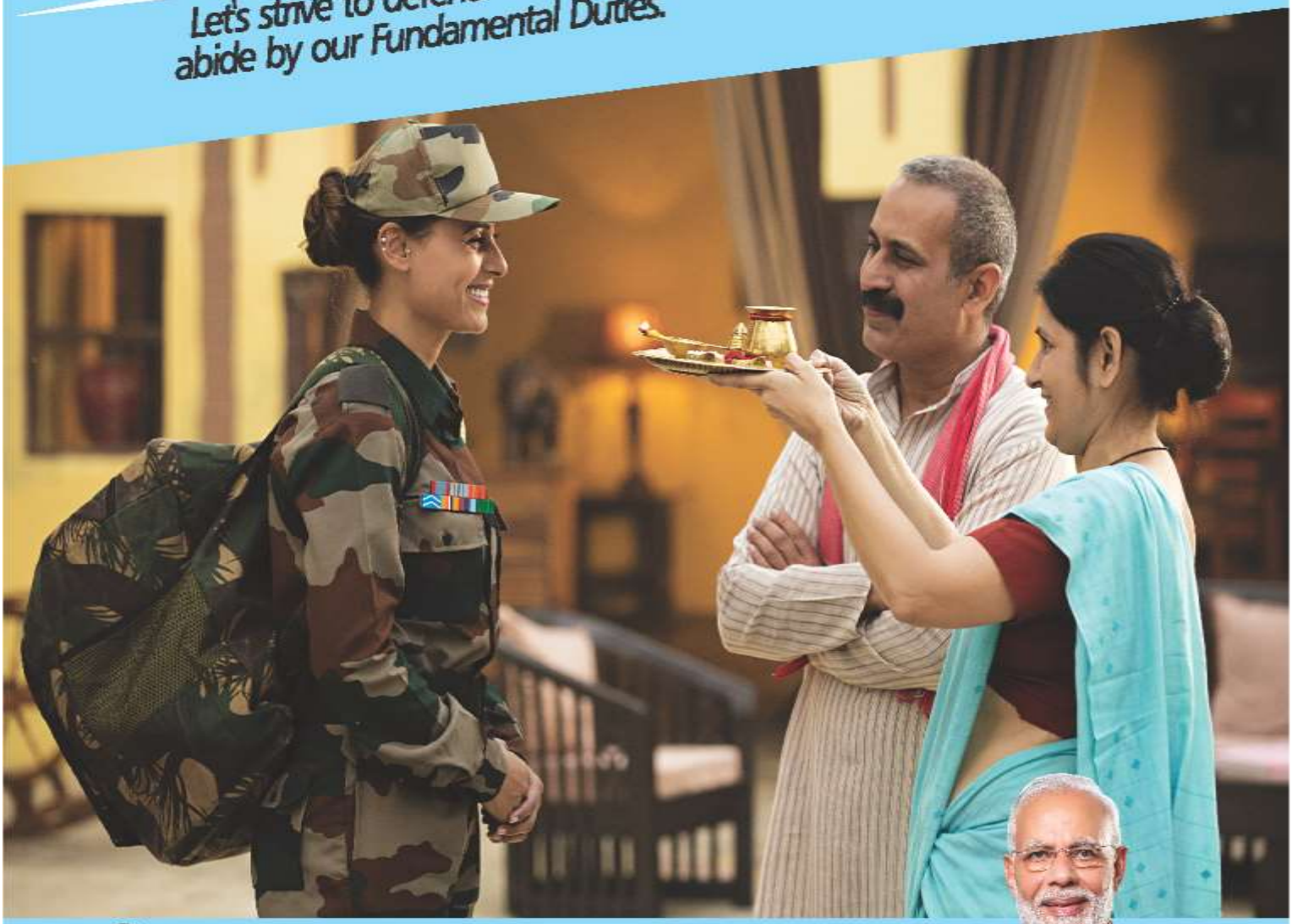

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Government of India
न्याय विभाग
भारत सरकार

Narendra Modi
Prime Minister

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

"United we prosper, India prospers."

Let's promote the spirit of brotherhood. Let's always respect women and abide by our Fundamental Duties.

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Government of India
न्याय विभाग
भारत सरकार

Narendra Modi
Prime Minister

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

"Nothing is more important to me than my child's education."

Let's strive to educate our children and abide by our Fundamental Duties.

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Government of India
न्याय विभाग
भारत सरकार

Narendra Modi
Prime Minister

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

"I value our freedom struggle. I value our freedom fighters."

Let's strive to cherish the ideals of our freedom struggle
and abide by our Fundamental Duties.

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Government of India
न्याय विभाग
भारत सरकार

Narendra Modi
Prime Minister

New India
नया भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020

"Papa taught me, humanity progresses when science progresses. I agree."

Let's strive to develop a scientific temper and abide by our Fundamental Duties.

Narendra Modi
Prime Minister

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Government of India
न्याय विभाग
भारत सरकार

भारत सरकार
Government of India

नागरिकांच्या कर्तव्यांप्रती जागरूकता निर्माण करणे

26 November 2019 - 26 November 2020

कर्तव्यांचे पालन करा राष्ट्रउभारणी करा

राज्यघटनेचे पालन

राज्यघटनेचे पालन	बंधुभावाची भावना जोपासणे	वृक्षांचे संरक्षण
महिलांचा आदर करणे	संस्कृतीतले वैविध्य जपणे	सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण
वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे	शैक्षणिक संधी पुरवणे	पर्यावरणाचे संरक्षण
सर्वोत्कृष्टतेचा ध्यास		स्वातंत्र्याचे जतन

Narendra Modi
Prime Minister

Indian Constitution & Citizens' Duties

26th November 2019 - 26th November 2020

भारत का संविधान एवं नागरिक कर्तव्य

26 नवम्बर 2019 -26 नवम्बर 2020

"संविधान को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, तो हमारा संविधान हर भारतीय की गरिमा और भारत की एकता, इन दो मूलमंत्रों को साकार करता है"

Narendra Modi
Prime Minister

70 years of the Indian Constitution

भारतीय संविधान के 70 वर्ष

"Right is Duty well performed."

Mahatma Gandhi

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and politscal;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity, and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

WE DO HEREBY GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION

Sign to Show Your Commitment

FUNDAMENTAL DUTIES

I PLEDGE TO

- Abide by the Constitution, National Flag & Anthem
- Cherish the Ideals of Freedom Struggle
- Uphold Sovereignty Integrity and Unity of India
- Defend the Country & Render National Service
- Promote Brotherhood & Respect Women
- Preserve our Composite Cultural Heritage
- Protect Natural Environment & Living Beings
- Develop Scientific Temper & Humanism
- Safeguard Public Property & Abjure Violence
- Strive for Excellence
- Provide Educational Opportunities for Children

#ItsMyDuty

#SamvidhanDiwas

Narendra Modi
Prime Minister

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाचे जतन

— तुमच्या मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करा
भारताला श्रेष्ठ बनवा

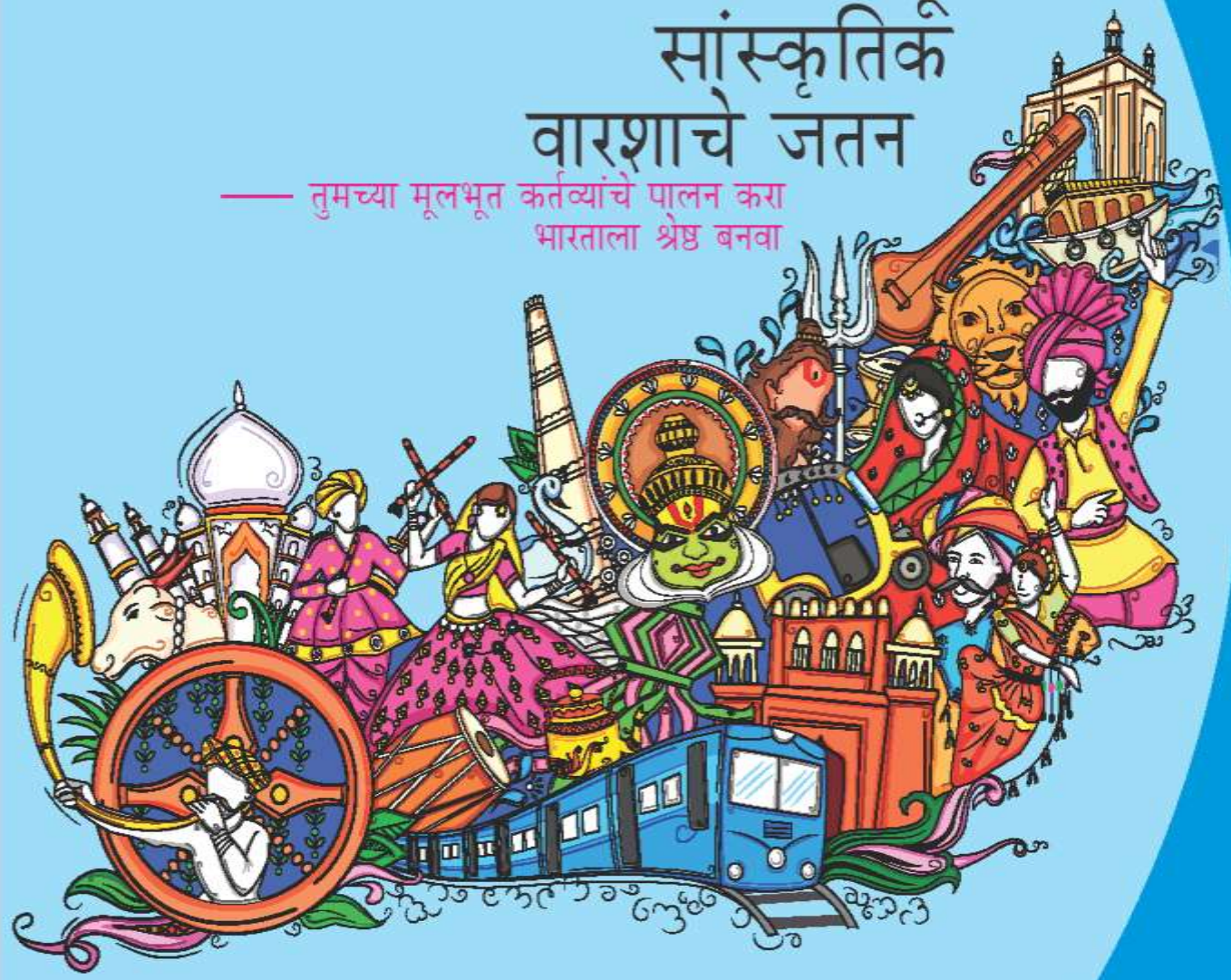

New India
नवा भारत

26th Nov 2019 - 26th Nov 2020